Geared for life

BHARAT GEARS LIMITED
Regd. Office & Works :
20 K.M. Mathura Road, P.O. Box 328
P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA
Tel. : +91 (129) 4288888, Fax : +91 (129) 4288822-23
E-mail : info@bglindia.com
Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/SEPTEMBER 2020-2021

BGL/SEC/BSE/2/SEPTEMBER 2020-2021

September 16, 2020

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

SYMBOL: BHARATGEAR

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice for Loss of Share Certificate

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the notice for loss of Share Certificate published by the Company in the newspaper i.e. "Hari Bhoomi" (Hindi) on September 16, 2020.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**

BHARAT GEARS LIMITED ★ FARIDABAD ★

Kaushal Narula
Manager (Secretarial)

Encl: As above

Geared for life

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :
20 K.M. Mathura Road, P.O. Box 328
P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA
Tel. : +91 (129) 4288888, Fax : +91 (129) 4288822-23
E-mail : info@bglindia.com
Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/SEPTEMBER 2020-2021 **BGL/SEC/BSE/2/SEPTEMBER 2020-2021**

September 16, 2020

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

SYMBOL: BHARATGEAR

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

STOCKCODE: 505688

Sub: <u>Published Notice for Loss of Share Certificate</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the notice for loss of Share Certificate published by the Company in the newspaper i.e. "Hari Bhoomi" (Hindi) on September 16, 2020.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**

Kaushal Narula
Manager (Secretarial)

BHARAT GEARS LIMITED ★ FARIDABAD ★

Encl: As above

खबर संक्षेप

अवैध शराब की खेप पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर

नई दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप को नष्ट किया है। यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई है। दरअसल इसके लिये बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट से ऑर्डर लिया गया था। डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर ने बताया कि कुल 16 हजार 262 अवैध शराब के क्वार्टर नष्ट किये हैं। इस जब्त शराब को एक खाली जगह पर डालकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से इजाजत लेना भी शामिल है।

नशे में धुत कार सवार युवक ने दो गाड़ियों को मारी टक्कर, चार घायल

नई दिल्ली। मंडावली थाना इलाके में सोमवार देर रात नशे में धुत एक कार सवार ने दो गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बिजली के खंभे से टक्कर लगते ही उसकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर सफदरजंग में रेफर कर दिया गया। घायल का नाम कृष्णा है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक युगल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 1:11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लाल बहादुर अस्पताल में एक शख्स को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई। जांच में पुलिस को पता चला कि मंडावली स्थित मदर डेयरी के पास नशे में धुत एक कार सवार ने एक स्कूटी व एक कार में टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार कृष्णा कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग में रेफर किया गया है। वहीं कार सवार युवकों को मामूली चोटे लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक युगल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में उसकी शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

पैसे न देने पर पत्नी ने पति को वाइपर से बुरी तरह पीटा

नई दिल्ली। मयूर विहार थाना इलाके में खर्च चलाने के लिए रुपये न देने पर पत्नी ने पति की वाइपर से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पति बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम राकेश है। पुलिस ने राकेश की शिकायत पर उसकी पत्नी नीतू के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, राकेश, त्रिलोकपुरी, मयूर विहार इलाके में सपरिवार रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी नीतू समेत अन्य सदस्य हैं। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे राकेश अपने घर पहुंचा। इस दौरान उसकी पत्नी नीतू उससे घर का खर्च चलाने के लिए रुपये मागंने लगी। इस पर राकेश ने कहा कि उसके पास अभी रुपये नहीं है। किसी से उधार मांग कर दे दूंगा। इस पर नीतू भड़क गई और उसने वाइपर से राकेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। राकेश की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राकेश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

पुलिस को इसकी चार साल से थी तलाश

22 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

दक्षिणी-पूर्वी जिले की सरिता विहार पुलिस ने बिजनेस डील में एक कंपनी को तकरीबन 22 लाख की चपत लगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जितेन्द्र कुमार बताया गया है। पुलिस को इसकी चार साल से तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक आरपी मीणा ने बताया एक कंपनी की मैनेजर मीनाक्षी नायर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने बताया कि वजीराबाद हरियाणा में केसी ट्रेडर्स के मालिक जितेन्द्र कुमार ने उनके साथ एक बिजनेस डील की थी। आर्डर के आधार पर उनकी कंपनी ने आरोपी को पूरा माल भेजा। उनकी कंपनी फर्नीचर, फिटिंग आदि उपकरण की डील करती है। 16 मई 2013 को जितेंद्र पर 14 लाख से ज्यादा की रकम का बकाया हो गया था। काफी दबाव के बाद भी उसने पेयमेंट नहीं की। इसके बाद भी उसके द्वारा माल की डिमांड की गई। शुरु में कंपनी ने माल भेजने से इंकार कर दिया। लेकिन उसके बार-बार आग्रह करने पर माल भेजा। जितेंद्र ने इसके बदले उनकी कंपनी के नाम पर साढ़े सात लाख से ज्यादा के पीडीसी चैक जारी किए। इसके अलावा चार ओर चैक उन्हें दिए गये थे। लेकिन सभी चैक कैश के अभाव में बाउंस हो गए। इस तरह उन पर करीब 21 लाख 92 हजार 106 रुपये की बकाया राशि हो गई। रकम मांगने पर उसने देने से इंकार कर दिया। यहां तक कि पीड़ति कंपनी के कर्मचारियों को धमकियां भी दी गई थी। सरिता विहार थाने में इस धोखाधड़ी की बाबत साल 2016 में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने रेवाडी हरियाणा निवासी जितेन्द्र कुमार को जांच में शामिल होने के लिये कहा लेकिन वहीं शामिल नहीं हुआ। इसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया। साल 2018 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। आखिरकार 13 सितंबर को उसे विकास नगर एरिया में दबिश डाल पकड़ लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मार्केट में रुपए फंस जाने की वजह से उसे काफी नुकसान हो गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

कुख्यात मेवाती बदमाश दबोचा

दक्षिणी-पूर्वी जिले की बदरपुर पुलिस ने मेवाती गिरोह के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे सोमवार दोपहर हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम हासिम बताया गया है। इस पर डकैती, लूट और चोरी के तीन दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। दिल्ली की एक अदालत ने इसे भगौड़ा भी घोषित किया हुआ था। डीसीपी आर पी मीणा ने बताया कि दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली सहित बॉर्डर के इलाके में सक्रिय हासिम मेवाती गैंग दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस को इसकी 2007 से तलाश थी। कई बार पुलिस ने मेवात में इसके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। लेकिन वह लंबे समय से फरार चल रहा था। 14 सितम्बर को इंस्पेक्टर विजयपाल दहिया की टीम को इसके नूंह में होने की सूचना मिली। पुलिस ने सूचना को पुख्ता कर दो टीम वहां भेजी और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड समेत दो पकड़े

- अब तक 100 देशी तमंचे और एक हजार से ज्यादा गोलियां कर चुके है सप्लाई
- आधा दर्जन से ज्यादा पिस्टल और 48 कारतूस बरामद

पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ ने देसी तमंचे और गोलियां सप्लाई करने वाले एक हथियार सप्लायर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सात कट्टे, एक रिवाल्वर और 51 कारतूस बरामद हुये हैं। इनके नाम हासिम और नेमी चंद बताये गये हैं। डीसीपी दीपक पुरोहित के अनुसार गिरफ्तार किए गए हथियार सप्लायर पहाड़गंज और बलजीत नगर के रहने वाले हैं। नेमीचंद 30 मामलों में शामिल रहा है और पटेल नगर थाने का बीसी है। इसे कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास से दबोचा गया। तलाशी में एक कट्टा और आठ कारतूस बरामद हुये। वहीं हाशिम पर पांच मामले चल रहे है। इसके पास से छह कट्टे, 43 कारतूस व एक रिवाल्वर बरामद हुई। इसे मोती नगर इलाके से पकड़ा गया। पुलिस को हाशिम की तलाश पटेल नगर इलाके में फायरिंग के एक मामले में भी थी। इसके खिलाफ मोतीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पुलिस को हाशिम ने बताया की वह 100 से ज्यादा कट्टे और 1000 से ज्यादा गोलियां सप्लाई कर चुका है।

चार करोड़ की ठगी में शामिल आरोपी अरेस्ट

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के मामले में फरार आरोपी रामबाबू मेहता को गिरफ्तार किया है। 39 वर्षीय आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंटिंग मेटेरियल उपलब्ध करवाने वाली इंटीग्रा ग्राफिक्स को लगभग चार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोपी मंडावली इलाके का रहने वाला है। ठगी में शामिल इसके कई साथी व मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार केस में शिकायतकर्ता अर्जुन कोहली इंटीग्रा ग्राफिक्स के नाम प्रिंटिंग मेटेरियल की खरीद/बिक्री का व्यवसाय करते है। शिकायतकर्ता फर्म के ही एक कर्मचारी के साथ मिलकर अभियुक्त विशाल प्रजापति ने वी टेक मार्केटिंग और अन्य फर्जी कंपनियों के नाम पर शिकायतकर्ता फर्म से चार करोड़ रुपये का प्रिंटिंग मेटेरियल लिया था। आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपना भुगतान दिखाने के लिए जाली चेक से भुगतान किया था। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता ने सह-अभियुक्त पंकज दीवान के साथ मिलकर पंकज सिंह और वेद कुमार चोपड़ा के नाम से फर्जी खाते खोले थे। बैंक खातों की जांच से पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक के चार चेक और लक्ष्मी विलास बैंक के एक चेक का इस्तेमाल एक काल्पनिक फर्म, नवीन ग्राफिक्स के नाम पर दी गई सामग्री के भुगतान के लिए किया गया था। इन दोनों खातों में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जाली थे और बैंक खातों से बिना किसी धन के चेक जारी किए गए थे। वर्तमान मामले में अन्य आरोपी विशाल प्रजापति, दीपक श्रीवास्तव और हेमंत शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी संबंधित अदालत में दायर किए जा चुके हैं। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता फरार था और इसके खिलाफ पीओ कार्यवाही शुरू की गई थी। पुलिस ने अदालत की अनुमति से इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसका दो दिन का रिमांड मिला है।

भाई के सामने प्रेमिका के साथ करना चाहता था गलत काम, गला घोंटकर की हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

- पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा
- आरोपियों में मृतक की प्रेमिका, प्रेमिका का भाई और भाई का दोस्त शामिल

वजीराबाद थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मृतक की प्रेमिका, उसके भाई व भाई का दोस्त शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के नाम वर्षा (24), आकाश (23) और अली (20) है। पूछताछ के दौरान आरोपी वर्षा ने पुलिस को बताया कि मृतक साहिल उर्फ राजा (24) शराब के नशे में उसके भाई आकाश और अली के सामने गलत काम करना चाहता था। इसी बात पर तीनों ने मिलकर बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (नॉर्थ) अंटो अल्फोंस ने बताया कि गत 11 सितंबर को गली नंबर-9, वजीराबाद से एक अज्ञात युवक के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक के गले पर निशान थे। पुलिस ने व्हाट्सएप्प ग्रुप के जरिये मृतक की शिनाख्त वजीराबाद निवासी साहिल उर्फ राजा के रूप में की। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने बताया कि साहिल की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास एक संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। पुलिस किसी तरह वजीराबाद निवासी ऑटो चालक रविंद्रपाल तक पहुंची। पूछताछ के दौरान रविंद्र ने बताया कि घटना वाले दिन रात में उसका ऑटो भगत विहार निवासी मुकेश के पास था। पुलिस मुकेश के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान मुकेश ने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात तड़के चार बजे एक युवती व दो युवक एक बीमार आदमी ने शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद अस्पताल से वजीराबाद लाने की बात की थी। बाद में उन्होंने उससे कहा कि अस्पताल में मरीज को बैड नहीं मिला, आप हमें घर छोड़ दो। वह अचेत युवक व तीनों को वजीराबाद छोड़कर चला गया। इसके बाद पुलिस जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंची। पुलिस को यहां सीसीटीवी कैमरों में आरोपी दिखाई दिये। परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो परिवार ने महिला की पहचान साहिल की प्रेमिका वर्षा के रूप में की। पुलिस की टीम फौरन शास्त्री पार्क उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। वर्षा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। उसकी आखिरी लोकेशन शाहजहांपुर यूपी की मिली। टीम ने तीनों आरोपी वर्षा, उसके भाई आकाश और दोस्त अली को हरदोई से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि कई सालों से वह दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे। गत 10 सितंबर की रात को साहिल शराब की बोतल लेकर वर्षा के घर पहुंचा। यहां सभी ने बैठकर शराब पी। नशे में साहिल, आकाश और वहां मौजूद अली के सामने ही वर्षा से जबरदस्ती करने लगा। गुस्से में वर्षा, आकाश और अली ने उसकी ही बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्हें लगा कि शायद साहिल जिंदा होगा तो वह उसे लेकर अस्पताल गए। जब उन्हें पता चला कि साहिल की मौत हो चुकी है तो वह मुकेश को अस्पताल के बाहर से ही ऑटो में डालकर वजीराबाद ले आये और उसके घर के पास फेंककर फरार हो गए।

खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन विदेशी नागरिकों को ठगा

नई दिल्ली। स्वरूप नगर थाना इलाके में कार सवार चार बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर तलाशी लेने के बहाने अफ्रीकी मूल के तीन विदेशी नागरिकों से पौने तीन लाख रुपये ठग लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान पीड़ित ऑटो से उत्तम नगर जा रहे थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी सिंधु बॉर्डर से उनका पीछा करते हुए आ रहे थे और उन्होंने स्वरूप नगर इलाके में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित न्वोसु इकेजोना की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अफ्रीकी मूल के न्वोसु इकेजोना हरियाणा के मुल्लाना स्थित महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते हैं। वह स्टडी से जुड़े हैं।

चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: L5149DL1984PLC019684
पंजी. कार्यालय : 55-बी, रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110015
30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित समाप्त 3 माह 30.06.2020	अअंकेक्षित पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त अनुकूल 3 माह 30.06.2019	अंकेक्षित वर्तमान वर्ष के वर्ष से तिथि आंकड़े 31.03.2020
1	प्रचालनों से कुल आय	395.88	2,073.32	5,935.10
2	वर्ष हेतु शुद्ध लाभ (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	(31.65)	91.94	4.34
3	कर से पूर्व वर्ष हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	(31.65)	91.94	4.34
4	कर और असाधारण मदों के बाद वर्ष हेतु शुद्ध लाभ	(31.31)	63.96	(9.56)
5	कुल व्यापक आय [कर के बाद वर्ष हेतु लाभ / हानि निहित और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	4.17	22.97	(61.13)
6	भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के)	324.50	324.50	324.50
7	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) बेसिक व डायल्युटेड अर्जन प्रति शेयर (रु. में)	0.01	0.07	(0.19)

टिप्पणी :
1. उपरोक्त अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और निदेशक मंडल द्वारा इसको 15 सितम्बर 2020 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किये गये।
2. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत उपरोक्त अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा कम्पनी के सवैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कर ली गई है और वे इस पर अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी कर चुके हैं।
3. कम्पनी (Ind AS) नियमों 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार "परिचालन सेगमेंट्स" Ind AS-108 के प्रावधानों के अनुसार है और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में उपलब्ध किये अनुसार है। कम्पनी के परिचालन "ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक, स्टील, स्क्रैप्स इत्यादि" शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं। जिन्हें प्रबंधन द्वारा केवल रिपोर्टेबल सेगमेंट के रूप में लिया गया है।
4. प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित कर चुके हैं कि 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों में कोई असत्य अथवा भ्रामक करने वाला विवरण अथवा आंकड़े निहित नहीं है और कोई भौतिक तथ्य हटाया नहीं गया है जिससे विवरण अथवा उसमें निहित आंकड़ें भ्रामक बनें।
5. 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.chamakholdings.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।
6. पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के साथ पुष्ट करने के लिये जहां आवश्यक है, रिग्रुप्ड / रिअरेंज्ड कर लिये गये हैं।
7. कोविड-19 महामारी के फैलने और अनुवर्ती लॉकडाउन ने मार्च 2020 के अन्तिम सप्ताह से कम्पनी के प्रचालनों पर बुरी तरह से असर डाला है। यह सुनिश्चित करने के लिये की कम्पनी का बिजनेस और गतिविधियां जहां तक सम्भव हो जारी रहें और अवरोध का प्रभाव कम किया जा सके, कम्पनी इसके सभी कर्मचारियों और परामर्शदाताओं के लिये एक वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बना चुकी है। कम्पनी इस महामारी की परिस्थिति से बाहर निकलने और सामान्य की भांति बिजनेस प्रचालन का संचालन करने के लिये सभी प्रशंसनीय तरीकों पर कार्य कर रही है।

बोर्ड के आदेशानुसार
चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/-
अनुभव कथूरिया
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01198916
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर 2020

BHARAT GEARS LIMITED
Regd. Office & Works: 20 K.M., Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003, (Haryana)
Tel.: +91 (129) 4288888
Fax: +91 (129) 4288822-23
Website: www.bharatgears.com,
E-mail: info@bglindia.com,
CIN: L29130HR1971PLC034365

NOTICE

Notice is hereby given that the Share Certificate no(s). 4005 and 29856 bearing distinctive no(s). 715201-715250 and 2872938-2872987 standing in the name of Subaschandra Raghavendra Baliga have been reported lost/misplaced.

The Company shall proceed to issue duplicate share certificate(s), if no objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.

For BHARAT GEARS LIMITED
Sd/-
Prashant Khattry
Head (Legal) & Company Secretary
Place: Faridabad
Dated: 10.09.2020

कैसे हो स्वच्छ भारत, जब जड़े हो महिला शौचालयों पर ताले

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन के अलीपुर वार्ड के अंतर्गत टीकरी खुर्द गांव के निकट बसी टार्जन स्लम कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाये गए दर्जनों जन शौचालयों की देखरेख नहीं हो पा रही है। जिसके चलते अधिकतर शौचालयों पर ताले जड़े हुए हैं तो बाकी की बदहाल हालत है। महिला शौचालयों पर जड़े हुए तालों से स्थानीय महिलाएं तो परेशान हैं ही इसके अलावा बच्चों को खुले में शौच करवाने पर मजबूर हैं। आसपास की पीड़ति महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय निगम प्रशासन से की जिसके बाद एक अधिकारी आया और चला गया। महिलाओं ने सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था की बात कही, लेकिन अब तक यहां सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। महिलाओं को कहना है कि यदि ऐसी ही हालत रही है तो महिलाएं भी खुले में शौच को मजबूर होंगी।

अगवा दो किशोरी पुलिस ने सकुशल की बरामद

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेक्टर-16 रोहिणी ने दो अगवा नाबालिग बच्चियों को सकुशल छुड़ा लिया है। दोनों बच्चियों की उम्र 13 साल है। ये 11 सितंबर को गोकुलपुरी थाना एरिया से लापता हो गई थी। पुलिस ने अपहरणकर्ता सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया है।

डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि 12 सितंबर को गोकुलपुरी के गंगा विहार इलाके में रहने वाली महिला ने अपनी बेटी और उसकी सहेली के गुम होने की शिकायत दी थी। उनका कहना था कि बच्चियां एक दिन पहले यानि 11 सितंबर को शाम छह बजे अचानक लापता हो गई थी। इस संबंध में लोकल पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। एसीपी एस के गुलिया के नेतृत्व में बनी इंस्पेक्टर महेश पांडेय व हवलदार अमरजीत सिंह व संदीप की टीम ने बच्चियों को ट्रैस करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि एक नाबालिग लड़की ऑनलाइन चैट एप का इस्तेमाल कर रही है।

एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लि.
पंजी. कार्यालय : 1400, मोदी टावर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN:L74210DL1987PLC029979
Tel.: +91-11-42504842, E-Mail : sbecsystems@rediffmail.com, Website : www.sbecsystems.com
30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) का सार
(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 30.06.2020 अअंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 30.06.2019 अअंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त वर्ष 31.03.2020 अंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 30.06.2020 अअंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 30.06.2019 अअंकेक्षित	समेकित समाप्त वर्ष 31.03.2020 अंकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय	0.39	6.52	1.56	0.39	6.52	1.56
2	अवधि (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व) हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	(8.26)	0.86	(97.62)	(8.26)	0.86	(97.62)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों और एसोसिएट्स के लाभ/हानि के शेयर के बाद)	(8.26)	0.86	(111.71)	(8.26)	0.86	(111.71)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(8.26)	0.86	(113.56)	(8.26)	0.86	(113.56)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(8.26)	0.86	(113.56)	(8.26)	0.86	(113.56)
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व्स	-	-	-	-	-	-
8	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु)						
a	बेसिक	(0.08)	0.01	(1.14)	(0.08)	0.01	(1.14)
b	डायल्युटेड	(0.08)	0.01	(1.14)	(0.08)	0.01	(1.14)

टिप्पणी :-
1. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.sbecsystems.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुशंसा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई तथा 15 सितम्बर 2020 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये।
3. वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियम (संशोधित अनुसार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार भारतीय लेखा मानदंड (Ind-AS) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
राजीव कुमार अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 00298252
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2020